



मित्रों जहां तक सम्भव हो प्रोबेशन में 30 दिन से अधिक अवैतनिक आवकाश नहीं लेवें।

प्रोबेशन दो वर्ष रहता है। फिर स्थाईकरण होता है। इसके बाद पद का पूरा वेतन मिलना शुरू होता है।

प्रोबेशन में 30 दिन से अधिक असाधारण अवकाश नहीं लेवें। 31 दिन होते ही पूरे 31 दिन प्रोबेशन आगे सरकेगा।

दो वर्ष प्रोबेशन में लिए गये अवकाश की जांच कर नियमानुसार सही होने पर ही वेतन नियमितिकरण होता है।

वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 30 October 2017 Schedule IV (Rule No 16) पेज 63 पर बिन्दु 1 अनुसार प्रोबेशन में निश्चित मानदेय मिलेगा। नव नियुक्ति से पहले कोई किसी राजकीय सेवा में स्थाई रहा है, वो प्रोबेशन में पूर्व के पद का वेतन या नव नियुक्त पद का निश्चित मानदेय जो उचित लगे ले सकता है। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV (Rule No 16) पेज 64 पर बिन्दु 6

प्रोबेशनर में कलैण्डर वर्ष में 15 सीएल मिलेगी। आदेश 30 October 2017 के Schedule IV बिन्दु 4

कलैण्डर स्कूलों में शिक्षकों के लिए जुलाई से जून रहेगा। वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 4 सितम्बर 2019 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में प्रोबेशन पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ के लिए सीएल गणना कलैण्डर एक जुलाई से 30 जून रहेगा। जुलाई के बाद जोईन करने वालों को एक महिने की 1⁴ सीएल मिलेगी। प्रतिमाह सीएल का उपभोग नहीं करने पर जमा होती रहेगी। इस कलैण्डर अनुसार 30 जून को जमा सी.एल लैप्स होगी। फिर एक जुलाई से 30 जून तक 15¹ सीएल मिलेगी।

बिन्दू 7 (i) अनुसार प्रोबेशन काल में पीएल और एचपीएल (हाफ पे लीव) अर्न (जमा) नहीं होती है। लेकिन प्रोबेशन से पूर्व की सेवा की पीएल और एचपीएल सेवा पुस्तिका में जमा (बकाया) है। वह राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के शासन उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र प.17(2) शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18-10-12 के तहत खाते में जमा पीएल तथा एचपीएल का उपभोग प्रोबेशन काल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (ii) अनुसार प्रोबेशन काल में महिला को प्रसूति अवकाश देय होगा। प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

बिन्दू 7 (iii) प्रोबेशन काल में पुरुष को पितृत्व अवकाश देय होगा। प्रोबेशन आगे नहीं सरकेगा।

2 वर्ष प्रोबेशन काल में महिला कार्मिक को चाईल्ड केयर लीव सामान्य परिस्थितियों में देय नहीं है। केवल विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत की जायेगी। इससे प्रोबेशन आगे सरकेगा। (नोटिफिकेशन F.1(6)FD/Rules/2011 Jaipur Dated 22 MAY 2018)

प्रोबेशन में 90 असाधारण अवकाश (विदाऊट पे) लिए जा सकते हैं। Schedule IV (Rule No 16) बिन्दू 8 (संशोधित नोटिफिकेशन F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur Dated 25 SEP 2018) लेकिन नोटिफिकेशन F.1 (2)FD/Rules/2006-I Jaipur Dated 25 OCT 2019 और F.1 (2)FD/Rules/2006-I Jaipur Dated 6 JAN 2020 से स्पष्ट किया गया है कि 30-06-2014 तक 90 दिन से अधिक दिनों का प्रोबेशन सरकेगा। 30-06-2014 के बाद 07-08-2019 तक 30 दिन से अधिक दिनों का प्रोबेशन सरकेगा। अवकाश अवधि दो नियमों के बीच होने पर वे ही नियम लागू होंगे, जो अवकाश पर जाने के दिन लागू हैं। 08-08-2019 से 30 से अधिक असाधारण अवकाश लेने पर पूरे अवकाश के बराबर प्रोबेशन आगे सरकेगा। एक माह अवकाश की स्वीकृति नियुक्ति अधिकारी और अधिक की प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी करवाने का प्रावधान कर दिया गया है।

F.1 (2)FD/Rules/2006-I Jaipur Dated 22 FEB 2021 द्वारा नियमित अध्ययनरत या कम्पीटीशन तैयारी के लिए असाधारण अवकाश (विदाऊट पे) लिए जा सकते हैं। लेकिन पूरे अवकाश के बराबर प्रोबेशन सरकता है।


नियमानुसार ही अवकाश लेवें ताकि 2 वर्ष बाद स्थाईकरण - वेतन नियमितिकरण के समय बाधा नहीं रहे।

सुविधा के लिये शिक्षा विभाग के आदेश संलग्न हैं। राज्य के वित्त विभाग के आदेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इनके प्रिन्ट निकलवाकर स्कूलों और संगठन कार्यालयों में सुरक्षित रखें। सभी को जानकारी दें।

संगठन से स्नेह बनाये रखें।

इस सन्दर्भ में सुभाष जी माचरा द्वारा शिविरा अगस्त 2016 में लेख प्रकाशित है

आपका विश्वासी


(महेन्द्र पाण्डे)

महामन्त्री

राजस्थान सरकार
शिक्षा (गुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 17(2)/शिक्षा-2/2008

जयपुर, दिनांक : 13.10.12

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में मार्ग-दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ : आपवन पत्र क्रमांक-शिक्षा/माध्य/संस्था/सी-6/पीएफ
/अर्चनाभाई/ दिनांक 13.07.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2008 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित्त विभाग' द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है :-

1. 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम-122-ए के प्रावधानों के अनुसार प्रोबेशनरी ट्रेनी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अतः प्रोबेशनरी ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगे।
2. नवनियुक्त प्रोबेशनरी ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के दौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपयोग करने की अनुमति देने जाने का निर्णय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
3. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपयोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त राय/टिप्पणी वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201396 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

13/10/2012
शासन उप सचिव-प्रथम

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)**

F.1(2)FD/Rules/2006 Pt-I

Jaipur, dated:

06 JAN 2020

MEMORANDUM

Subject :- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainee and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.

In partial modification of Finance Department memorandum of even Number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

s. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
3. Extraordinary leave shall be granted up to one month by appointing authority on reasonable grounds. Extraordinary leave beyond one month shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
4. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
5. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.


31/1/2020

(Hemant Gera)
Secretary to the Government,
Finance (Budget)

Schedule IV
(Rule No. 16)

AMOUNT OF FIXED REMUNERATION FOR PROBATIONER-TRAINEE

S.No.	Existing Grade Pay	Existing Grade Pay No.	Existing Amount of Fixed Remuneration	Corresponding Level	Amount of Fixed Remuneration per month with effect from 01.10.2017	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	1700	2	6670	L-1	12400	
2	1750	3	7000	L-2	12600	
3	1900	4	7400	L-3	12800	
4	2000	5	7790	L-4	13500	
5	2400	9	8910	L-5	14600	
6	2400	9A	8910	L-6	15100	
7	2400	9B	8910	L-7	15700	
8	2800	10	11820	L-8	18500	
9	2800	10A	11820	L-9	20100	
10	3600	11	13200	L-10	23700	
11	4200	12	14660	L-11	26500	
12	4800	14	17230	L-12	31100	
13	5400	15	22180	L-14	39300	
14	6000	16	24030	L-15	42500	
15	6600	17	26670	L-16	47200	
16	6800	18	28120	L-17	49700	
17	7200	19	29840	L-18	52800	
18	7600	20	31620	L-19	56000	
19	8200	21	35180	L-20	62300	
20	8700	22	48710	L-21	86200	
21	8900	23	51350	L-22	90800	
22	9500	23A	54120	L-23	102100	
23	10000	24	57820	L-24	104200	

Note:-

1. The Probationer-trainee shall be entitled only to fixed remuneration as above and he/she will not be entitled to Special Pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Non-Practicing Allowance, Non-Clinical Allowance, Mess Allowance, Washing Allowance or any other allowance(s) called by whatever name. Similarly, he/she will not be eligible for grant of Ad-hoc Bonus and uniform/liveries except wearing of uniform is a legal compulsion under the rules.
2. No Travelling Allowance shall be admissible for joining as a probationer-trainee. In case journey on duty, he/she shall be allowed T.A. as on tour and in case of transfer only Mileage Allowance on the basis of fixed remuneration shall be admissible. In case of transfer only the actual period required for travel will be treated as on duty.
3. No deduction towards General Provident Fund and State Insurance shall be made from the fixed remuneration.
4. Probationer-trainee shall be eligible for Casual Leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year, it shall be admissible in proportion on the basis of completed months.
5. No Deputation Allowance shall be admissible to a Probationer-trainee, if, deputed to 'Foreign Service' for training etc.



6. An existing employee already in regular service shall have an option to opt either for the "Fixed remuneration" or the Pay in the Level in the Pay Matrix (not the Level of his/her new appointment), whichever is beneficial to him/her while he/she is under probation. After successful completion of probation period, Pay shall be fixed as per the rules, where such a Government servant will get due advantage of being in a regular Level earlier, and will get due protection of his/her pay.
7. (i) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.
(ii) Female Probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 and 104 of Rajasthan Service Rules, 1951
(iii) Male Probationer- trainee shall be granted Paternity Leave as per Rule 103A of Rajasthan Service Rules, 1951
8. Extraordinary Leave upto 30 days may be sanctioned by the appointing authority to a Probationer-trainee during the entire period of Probation Training. Beyond 30 days and not more than one year by the appointment authority after prior approval of Administrative Department.
9. Grant of Medical Attendance Allowance Rs 17400/- (including hard duty allowance etc. if any) during the probation period in addition to fixed remuneration to newly appointed Medical Officer.
10. Mediclaim Insurance coverage for the Probationer-trainee during the period of probation shall be applicable, as applicable to Government servants.
11. Contribution towards New Pension Scheme (NPS) @ 10% of fixed remuneration shall be made by the Probationer-trainee and employer both.



**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)**

CLARIFICATION

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I


Jaipur, dated : 25 OCT 2019

Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.

Attention is invited FD Memorandum of even number dated 22.05.2009, 11.06.2014, 07.08.2014 and 08.08.2019 under which provisions are contained for grant of extraordinary leave to probationer trainee. Certain clarification / doubts has been raised for implementation of the above Memorandums.

Accordingly, the matter has been considered with reference to the provisions of Rule 4A of Rajasthan Service Rules under which it has been mentioned that an Officer's claim to leave shall be regulated by the rules in force at the time leave is applied for and granted. Hence, it is clarified that:-

1. In all pending cases of employees who availed extraordinary leave exceeding three months prior to 11.06.2014 the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.
2. The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding three months even before 11.06.2014 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond three months.
3. In all cases where extraordinary leave exceeding one month is availed on or after 11.06.2014, till 07.08.2019 the probation period will be extended for the period of extraordinary leave taken beyond one month.
4. The employees who were continuing to avail extraordinary leave exceeding one month even before 08.08.2019 and onwards, in such cases also the period of probation is to be extended by the period of extraordinary leave availed beyond one month.
5. In all cases where extraordinary leave exceeding one month is availed on or after 08.08.2019, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.


(Hemant Kumar Gera)
Secretary to the Government,
Finance (Budget)

लेखा-स्तम्भ

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय सुविधाएँ एवं अवकाश

□ सुभाष माचरा

1. **परिवीक्षाधीन (Probationer):** 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-7(30) के अनुसार परिवीक्षाधीन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है, जो किसी सेवा अथवा संवर्ग में स्थाई रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है।
2. **परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee):** 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-7(30ए) के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जो सीधी भर्ती द्वारा एक स्पष्ट रिक्त पद के विरुद्ध सेवा अथवा संवर्ग में स्थिर पारिश्रमिक पर दो वर्ष या वृद्धि की कालावधि यदि कोई हो, प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है। सेवा नियमों में उक्त प्रविष्टि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.1(2)FD/Rules/ 2006, Dated:13-3-2006 के अनुसरण में 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के मौजूदा नियम-8 (राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति पर आयु से संबंधित विद्यमान नियम-8 को 8 A के रूप में अंकन किया गया) के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए की गई, जो कि दिनांक: 20.01.2006 या उसके पश्चात् राजकीय पद पर नियुक्त कर्मिकों के लिए प्रभावी है। के मौजूदा नियम-8 (राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति पर आयु से संबंधित विद्यमान नियम-8 को 8 A के रूप में अंकन किया गया) के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए की गई, जो कि दिनांक: 20.01.2006 या उसके पश्चात् राजकीय पद पर नियुक्त कर्मिकों के लिए प्रभावी है।
3. **परिवीक्षा की कालावधि:** वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.1(2)FD/Rules/2006, Dated:13-3-2006 द्वारा सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया है

कि दिनांक : 20.01.2006 या उसके पश्चात् राजकीय पद पर स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं/आदेशों द्वारा कुछ विशिष्ट सेवाओं/पदों हेतु परिवीक्षा की कालावधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष की गई। उदाहरणार्थ वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.1(2)FD/Rules/ 2006, Dated:26-12-2011 एवं 03-07-2014 द्वारा 'राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा' के चिकित्साधिकारी एवं 'राजस्थान चिकित्सा (महाविद्यालय शाखा) सेवा' के वरिष्ठ प्रदर्शक/सहायक आचार्य पदों हेतु परिवीक्षा कालावधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष की गई। इसी प्रकार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.12 (6)FD/ Rules/2005, Dated:23-09-2014 द्वारा राज्य सेवा के प्रारंभिक पद से उच्च पद, जिसमें अकादमिक/प्रोफेशनल एवं विशिष्ट अनुभव आवश्यक है, नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की गई।

4. **परिवीक्षा की कालावधि में देय पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ:** - 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम 8 के तहत 20 जनवरी 2006 या इसके पश्चात् राजकीय सेवा में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाएगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण के दौरान की अवधि में उसे नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए। परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् उसे चालू वेतन बैंड और ग्रेड

वेतन में वेतन अनुज्ञात किया जाएगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की कालावधि को वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा।

- I परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अन्तर्गत अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
- II परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं कार्यग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि वह कर्तव्य के लिए यात्रा करता है, तो उसे दौरे के लिए देय नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानांतरण होने पर उसे मील भत्ता तथा आनुषांगिक प्रभार नियत पारिश्रमिक के आधार पर देय होगा।
- III स्थिर पारिश्रमिक में से बीमा एवं जी.पी.एफ. की कटौती नहीं होगी।
- IV परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को यदि प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक सेवा में प्रशिक्षण के लिए लगाया जाता है, तो उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
5. **नियमित राज्य सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय वेतन ('राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम 24 के अन्तर्गत):** एक राज्य कर्मचारी, जो पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में है, यदि दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात् नियुक्ति होता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय पूर्व मद के स्वयं के वेतनमान में देय वेतन या परिवीक्षा की अवधि में देय नियत पारिश्रमिक में से, जो भी उसके लिए लाभकारी हो, वेतन देय होगा। एक

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, जो अपने से पूर्व के पद के चालू वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करता है, तो उसे परिवीक्षाधीन अवधि में पूर्व के पद के विद्यमान वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी तथा प्रशिक्षण स्थान का मकान किराया भत्ता देय होगा। नियमित राज्य कर्मचारी, जिसने राजकीय सेवा में सेवा के 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो वह कार्यग्रहण काल एवं इस कालावधि के वेतन के लिए पात्र होगा तथा जिन कर्मचारियों ने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उन्हें केवल कार्यग्रहण काल ही देय होगा तथा कार्यग्रहण काल का वेतन देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसका वेतन पूर्व पद और ग्रेड वेतन के प्रति निर्देश से समान स्टेज पर नये पद के चालू वेतन बैंड में नियत किया जाएगा।

6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय अवकाश:-

I आकस्मिक अवकाश:- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को एक कलैण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। कलैण्डर वर्ष की अपूर्णता की स्थिति में आनुपातिक आधार पर उसके द्वारा प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के एवज में एक आकस्मिक अवकाश का लाभ देय होगा। प्रशिक्षण अवधि के सफलतापूर्वक समापन पश्चात् स्थाईकरण होने पर स्थाईकरण तिथि से नियमित राज्य कर्मचारियों को देय अवकाश सुविधा का पात्र होगा। 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-122 ए के प्रावधानान्तर्गत पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों सहित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षा की कालावधि में अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: राज्य सरकार के वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या-221201396, दिनांक: 12.10.2012 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में शासन

उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक: प.17(2)शिक्षा-2/2008, दिनांक: 18.10.12 द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनानुसार नव नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, जो पूर्व से ही राज्य कर्मचारी होने के कारण उनके अवकाश खाते में पूर्व अर्जित अवकाश स्वत्व बकाया है, को पूर्व अर्जित अवकाश उपयोग की अनुमति दिए जाने का निर्णय संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जाएगा तथा उक्त प्रकार के अर्जित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परिवीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II प्रसूति एवं पितृत्व अवकाश: वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.1(6)FD/Rules/2011, Dated:15-2-2012 द्वारा 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-103 ए को नियम-122 ए द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:-

नियम-122 ए

- I परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करेगा।
- II महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को मौजूदा नियम-103 एवं 104 के तहत प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) स्वीकृत किया जाएगा।
- III पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को मौजूदा नियम-103 ए के तहत पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) स्वीकृत किया जाएगा।

7. परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक समापन एवं पद के नियमित वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वेतन नियतन:- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा कालावधि के सफलतापूर्वक समापन पश्चात् नियुक्ति अधिकारी द्वारा कार्मिक को पद का नियमित वेतन बैंड एवं ग्रेड पे अनुज्ञेय है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.1(2)FD/

Rules/06 Part-1, Dated:22-05-2009 द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-96 (बी) के तहत तीन माह तक का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) नियुक्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की छूट प्रदान की गई थी। उक्तानुसार तीन माह की अवधि तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृति की अवस्था में कार्मिक के परिवीक्षा काल में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.1(2)FD/Rules/06 Part-1, Dated:11-06-2014 तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक: F.1(2)FD/Rules/06 Part-1, Dated:06-08-2014 द्वारा उक्त अवधि को तीन माह के स्थान पर 30 दिवस तक सीमित कर दिया गया है। उक्तानुसार वर्तमान में तीस दिवस से अधिक का असाधारण अवकाश लेने पर परिवीक्षा की कालावधि में 30 दिवस से जितने दिन अधिक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उतने दिन हेतु परिवीक्षा काल में वृद्धि होगी। तीन माह तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी द्वारा तथा 3 माह से अधिक, लेकिन एक वर्ष की अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्रशासनिक विभाग की अनुमति से स्वीकृत हो सकेगा। अपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष से अधिक का असाधारण अवकाश कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से स्वीकृत किया जा सकेगा।

8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.7(2)DOP/A-II /2005, Dated:26-04-2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि परिवीक्षा की कालावधि नियमित नियुक्ति मानी जाएगी, जो कि पदोन्नति एवं आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) में सेवावधि की गणना हेतु मान्य होगी।

शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी
निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)**

MEMORANDUM

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I

Jaipur, dated : **22 FEB 2021**

Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / Running Pay Band / Pay Level of the post.

Attention is invited towards Finance Department Memorandum of even number dated 06.01.2020 and 28.01.2020 under which powers are delegated for grant of extra ordinary leave to probationer trainee and guidelines have been issued in this regard. According to these guidelines no extraordinary leave is admissible for study and preparing for competitive examination purpose to a probationer-trainee. In case probationer trainee's absence is for the purpose of higher study / preparing for competitive examination, the period of absence is treated as dies-non and the same is not countable for any purpose i.e. the probationer-trainee is required to complete the period of probation afresh.

Above provision has caused hardship to the probationer-trainee who was continuing some course of higher study or was preparing for nearby competitive examination at the time of joining of service as probationer-trainee.

Accordingly, the matter has been considered sympathetically and in partial modification of the aforesaid Memorandums it has been decided that the probationer-trainee who was / is continuing any course of study or preparing for nearby competitive examination before joining of service as probationer-trainee and applied for grant of extra ordinary leave before proceeding on leave may be allowed extraordinary leave for the period of continuing any course of study or preparing for nearby competitive examination. The probationer-trainee period shall stand extended by the period of extraordinary leave sanctioned for the purpose of completing continuing course of study or for nearby competitive examination.

Those who proceeded / proceeds on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.

Pending cases of extraordinary leave pertaining to completing continuing any course of study or preparing for nearby competitive examination before joining service to Probationer Trainee prior to issue of this memorandum may also be decided by the Appointing Authority and Administrative Department in terms of this order.



(Dr. Prithvi)

Secretary to the Government,
Finance (Budget)

प्रोबेशन में अवकाश प्रकरण के साथ सेवा पुस्तिका भेजना आवश्यक नहीं

15

AO (PPF)

651
30 JUL 2021

F. N.
21
30/7/21

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 07(13)शिक्षा-2/2021

जयपुर, दिनांक : 27/7/2021

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : प्रोबेशनर ट्रेनी को असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
दायक।

संदर्भ : वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा का पत्रांक- शिविरा/माध्य/
शिविरा-अ/34848/2019 दिनांक: 25.02.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि प्रोबेशन ट्रेनी को असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 28.01.2020 द्वारा ज्ञापन दिनांक 08.08.2019 का अधिकमण करते हुए दिनांक: 25.10.2019 एवं 06.01.2020 को लागू किया गया। वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 06.01.2020 के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक: 25.02.2021 को निम्नांकित राय प्रदत्त की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है :-

"The Government reserve to themselves the right of changing the rules regarding pay and acting allowances and leave and pension from time to time at their discretion. An officers claim to pay and allowances is regulated by the rules in force at the time in respect of which the pay and allowances are earned, to leave by the rules in force at the time the leave is applied for and granted; and to pension by the rules in force at the time when the officer resigns or is discharged from the service of Government."

अतः प्रोबेशन ट्रेनी को असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त उपरोक्त राय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्मिकों के असाधारण अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रकरण के साथ कार्मिक की सेवापुस्तिका संलग्न कर शासन को भिजवायी जाती है, जबकि असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु कार्मिक की सेवापुस्तिका के निम्नांकित पृष्ठों की ही आवश्यकता होती है। अतः अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त मूल सेवापुस्तिका के स्थान पर सेवापुस्तिका के निम्नांकित पृष्ठों की प्रतिया प्रमाणित करवाकर प्रकरण भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे :-

1. सेवापुस्तिका का प्रथम पृष्ठ जिस पर कार्मिक का विवरण अंकित होता है।
2. कार्मिक के प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण की प्रविष्टि के पृष्ठ की प्रति।
3. विभागाध्यक्ष द्वारा असाधारण अवकाश स्वीकृति की प्रविष्टि की प्रति।

इसके साथ ही प्रकरणों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि अनेकों प्रकरणों में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से स्वीकृत किये जाने वाले अवकाश राशम

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जानकारी के लिए प्रसारित

पंजीयन संख्या 5/80-81
**राजस्थान प्राथमिक एवं
माध्यमिक शिक्षक संघ**



E Mail - mpandey09@gmail.com
**RAJASTHAN PRATHAMIK AVAM
MADHYAMIK SHIKSHAK SANGH**

रा.प्रा.एवं.मा.शि.सं / बीका / प्रदेश / 2022-23

दिनांक25-03-2023

प्रमुख शासन सचिव
वित्त विभाग
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय: प्रोबेशन में 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया से राहत बाबत।
सन्दर्भ: MEMORANDUM - No. F. 1(2)FD/Rules/2006-1 Jaipur, dated: 8 AUG 2019
प्रसंग: एक ही आदेश की 4 स्तर पर समीक्षा से अनावश्यक विलम्ब।

महोदय जी

सविनय निवेदन है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश से प्रोबेशन में 30 दिन तक लिए हुए अवैतनिक अवकाश नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, जबकि 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के लिए प्रशासनिक विभाग को अधिकृत किया हुआ है।

प्रोबेशन में 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रकरण स्कूल से सीबीईओ कार्यालय वहां से शिक्षा निदेशालय बीकानेर वहां से शिक्षा ग्रुप-2 विभाग जयपुर को भेजना होता है।

इस प्रक्रिया में महीनों समय लगना तय है।

एक ही आदेश के तहत अवैतनिक अवकाश प्रकरण को 4 स्तर पर जांचा एवं परखा जाता है।

उक्त 4 में से किसी भी स्तर के अधिकारी को प्रकरण में शिथिलन देने का अधिकार नहीं है।

संगठन का आंकलन है कि 4 स्तर की प्रक्रिया पूर्ण होने में महीनों लग जाते हैं और शिक्षक प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद उस पद का पूरा वेतन लेने का इंतजार करता रहता है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

MEMORANDUM

No. F. 1(2)FD/Rules/2006-I

Jaipur, dated: 8 AUG 2019

Sub:- Regarding successful completion of period of probation by probationer-trainees and grant of pay in the pay scale / running pay band of the post.

In partial modification of Finance Department Memorandum of even number dated 11.06.2014, powers are delegated for grant of extraordinary leave to probationer trainee in place of existing provisions contained in para 2 and 3 of aforesaid Memorandum as under:-

S. No	Period of Extraordinary Leave	Authority competent to grant EoL
1	Upto one month	Appointing authority
2	Beyond one month in exceptional and unavoidable circumstances	Administrative Department

The powers for grant of extraordinary leave to probationer trainee shall be subject to observation of following guidelines:-

1. Prior sanction of extraordinary leave shall be pre-requisite in all such cases.
2. Those who proceed on extraordinary leave without prior sanction shall be treated as cases of wilful absence and liable to disciplinary action.
3. In case of extraordinary leave applied for critical illness of self, wife/husband, mother, father and children, extraordinary leave can be sanctioned on the basis of certificate of authorized medical attendant.
4. Extraordinary leave shall be granted in exceptional and unavoidable circumstances, related to medical urgency.
5. No extraordinary leave be sanctioned for study purpose and for preparing competitive examination.
6. If anyone remains absent without getting prior sanction for extraordinary leave or in cases where absence is due to higher study / preparing for competitive examination, the period of absence shall be treated as dies non and the same shall not be countable for any purpose.
7. In all cases where extraordinary leave period is exceeding one month, the probation period shall be extended for the entire period of extraordinary leave.

(Manju Rajput)
Secretary to the Government,
Finance (Budget)

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बचत - राहत - बढ़त का नारा दिया गया है।

संगठन का आग्रह है कि राहत के लिए प्रोबेशन में 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश स्वीकृति का अधिकार विभागीय अध्यक्ष निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया जाना समीचीन रहेगा।

सादर

भवनिष्ठ

(महेन्द्र पाण्डे)
महामन्त्री

प्रान्तीय कार्यालय- 44-ए, पाण्डे कालोनी चौतीना कुआ बीकानेर। मोबाइल 9928370327